न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या :12 / 2024
निर्णय दिनांक : 06/05/25
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 22

1. केशु राम पुत्र नानू राम जाति जाट निवासी मगरारार तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. किशना राम पुत्र नानू राम जाति जाट निवासी मगरारार तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादीगण

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा वावत राजस्व रिकॉर्ड दुरूरती

उपस्थित :–
1. श्री रमेश कुमार विस्सु एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 796 / 197 तादादी 1.8841 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्वोधित किया गया है।

वादीगण का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादगत खेत में वादी संख्या 01 का नाम केशाराम पुत्र नानूराम व वादी संख्या 02 का नाम किसनाराम पुत्र नानूराम खातेदारी में अंकित कर दिया जवकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम वादी संख्या 01 का नाम केशु राम पुत्र नानू राम व वादी संख्या 02 का नाम किशना राम पुत्र नानूराम दर्ज है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है।

राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वादगत खेत खेत खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 796 / 197 तादादी 1.8841 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादीगण का नाम केशाराम पुत्र नानूराम व किसनाराम पुत्र नानूराम खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम केशुराम पुत्र नानूराम व किशनाराम पुत्र नानूराम दर्ज है। केशाराम पुत्र नानूराम व किसनाराम पुत्र नानूराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे केशुराम पुत्र नानूराम व किशनाराम पुत्र नानूराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग के पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आदि दस्तावेजात में भी वादीगण का नाम केशुराम पुत्र नानूराम व किशनाराम पुत्र नानूराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 796 / 197 तादादी 1.8841 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी संख्या 01 का नाम केशाराम पुत्र नानूराम व वादी संख्या 02 का नाम किसनाराम पुत्र नानूराम के स्थान पर केशुराम पुत्र नानूराम व किशनाराम पुत्र नानूराम खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को टंकित करवाया जाकर अज अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

केशुराम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा न0 12 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री रमेश कुमार बिस्सु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 796/197 तादादी 1.8841 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी संख्या 01 का नाम केशाराम पुत्र नानूराम व वादी संख्या 02 का नाम किसनाराम पुत्र नानूराम के स्थान पर केशुराम पुत्र नानूराम व किशनाराम पुत्र नानूराम खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.......................................मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 06 **माह 05. 2025**

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
अदालत .... सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये